झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– म०म०स०-05/वे०भ० संशोधन -128/2017 885 / दिनांक– 02/7/2024

झारखण्ड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम–2001 (झारखण्ड अधिनियम –1, 2001) झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 11, 2006), झारखण्ड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2008) सहपठित झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम 2011 (झारखण्ड अधिनियम 14, 2011) के नियम–7 एवं झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम–12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

I. यह नियमावली "झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2024" कहलायेगी।

II. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

III. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

IV. इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो,

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001।

(ख) अध्यक्ष से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष।

(ग) उपाध्यक्ष से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा के उपाध्यक्ष।

(घ) सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन–

I. झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष को प्रतिमाह रु० 98,000/– (अंठानवे हजार) मात्र की दर से वेतन का भुगतान किया जायेगा ,

II. झारखण्ड विधान मंडल के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह रु० 75,000/– (पचहत्तर हजार) मात्र की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा,

III. झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. मोटर कार खरीदने के लिए अध्यक्ष को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना–

I. राज्य सरकार राज्य विधानसभा के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए समय–समय पर मोटरकारों की खरीद और उपबंध ऐसी शर्तों पर कर सकेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें,

II. नियमावली में निर्दिष्ट राज्य विधान मंडल का कोई पदाधिकारी ऐसी रियायती दर पर और अन्य शर्तों पर प्रभार का भुगतान करके स्टाफकार के उपयोग करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे।

स्पष्टीकरण: इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्त "स्टाफकार" से अभिप्रेत है सरकारी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की स्वामित्ववाली और उसके द्वारा अनुरक्षित कोई मोटरगाड़ी।

III. **मोटरकार अग्रिम**–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को रु० 20,00,000/–(बीस लाख) 04% (चार प्रतिशत) वार्षिक व्याज की दर पर अग्रिम अनुमान्य होगा।

(क) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष राशि रु० 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक मोटरगाड़ी क्रय कर सकेंगे।

IV. आवास ऋण– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को रु० 60,00,000/– (साठ लाख) मात्र, 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।

V. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान निर्धारित सीमा के अन्दर विधान सभा द्वारा देय होगा।

4. **राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों को प्रभारी भत्ता –**

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रभारी भत्ता के रूप में रु० 3,000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के अंदर एवं रु० 4,000/– (चार हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर अनुमान्य होगा।

5. **क्षेत्रीय भत्ता–**

क) अध्यक्ष को रु० 95,000/– (पंचानवे हजार) मात्र प्रतिमाह तथा

ख) उपाध्यक्ष को रु० 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र प्रतिमाह।

6. **सत्कार भत्ता –**

इस नियमावली में यथा परिभाषित विधान सभा के पदाधिकारी निम्न प्रकार से सत्कार भत्ता पाने का हकदार होगा :

(क) अध्यक्ष–रु० 70,000/–(सत्तर हजार) मात्र प्रतिमाह।

(ख) उपाध्यक्ष–रु० 55,000/–(पचपन हजार) मात्र प्रतिमाह।

(ग) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को लैंडलाईन, मोबाईल, इण्टरनेट तथा फैक्स की सुविधा हेतु राशि रु० 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार) मात्र प्रतिवर्ष देय होगा, जिसमें में रु० 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह वेतन में देय होगा।

7. चिकित्सा सुविधा –

झारखण्ड विधान–मंडल के पदाधिकारी को चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उन नियमों के अधीन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार का स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड समय–समय पर अवधारित करे।

8. अध्यक्ष का आवास –

I. झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष बिना किराया के अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक एक महीना बाद तक रांची में तथा रांची के अलावा अन्य ऐसे स्थान में भी, जहाँ विधान मंडल का सत्र होता हो, सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।

II. ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष पर व्यक्तिगत रुप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

III. इस नियमावली के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित और अनुरक्षित करने का खर्च उस पैमाने पर और उन आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करें।

स्पष्टीकरण: इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

IV. <u>उपस्कर एवं आवास सुसज्जन</u> :–

अध्यक्ष को एक टर्म के लिए रु० 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र तथा इसके रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष रु० 20,000/– (बीस हजार) मात्र देय होगा।

9. उपाध्यक्ष का निवास –

I. झारखण्ड विधान मंडल का उपाध्यक्ष किराया दिए बिना निम्नलिखित के उपयोग करने के हकदार होंगे :

(क) राँची में अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक बाद पन्द्रह दिनों की अवधि तक एक सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।

(ख) किसी अन्य स्थान पर जहाँ झारखण्ड राज्य के विधान मंडल का सत्र आयोजित हो, उसके दौरान, और सत्र के पूर्व एक सप्ताह और बाद में एक सप्ताह से अनाधिक अवधि के लिए एक सुसज्जित निवास अथवा ऐसे निवास के बदले प्रतिमाह एक सौ रुपये की दर से आवास भत्ता देय होंगे।

II. इस नियमावली के अधीन उपबंधित किसी निवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान मंडल के उपाध्यक्ष पर व्यक्तिगत रुप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

III. इस नियमावली के अधीन उपबंधित निवास की साज–सज्जा और अनुरक्षण पर ऐसे पैमाने और ऐसी वित्तीय सीमाओं के अधीन खर्च किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें।

स्पष्टीकरण: इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

IV. <u>उपस्कर एवं आवास सुसज्जन</u> :–

उपाध्यक्ष को एक टर्म के लिए रु० 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र तथा इसके रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष रु० 20,000/– (बीस हजार) मात्र देय होगा।

10. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या (interpret) कर एवं समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

11. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

12. **व्याख्या एवं संशोधन**– इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.7.24

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/वे0म0 संशोधन –128/2017 885 / रांची, दिनांक 02/7/2024।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रांची/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन –128 / 2017 885 / राँची, दिनांक-02/7/2024।
प्रतिलिपि: प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन –128 / 2017 885 / राँची, दिनांक-02/7/2024।
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखंड को संकल्प की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।